

कार्य-योजना माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। अधिकारों के समुचित ज्ञान एवं आर्थिक साधनों के अभाव में समाज का एक बड़ा वर्ग तथा विशेष रूप से वंचित एवं जरूरतमंद लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उक्त कमियों के आधार पर समाज के लोगों का न्याय से वंचित होना यह दर्शित करता है कि संविधान के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शासन के प्रत्येक अंग को एक समन्वित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि न केवल समाज के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि उन्हें देश के विकास में योगदान देने का भरपूर अवसर प्राप्त होगा। प्रस्तुत कार्ययोजना का उद्देश्य समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों को नालसा, सालसा एवं शासन की योजनाओं एवं निर्देश अनुसार लाभ प्रदान किया जाना है और समाज में न केवल अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्यों के पालन हेतु जागरूक करना है।

किशोर एवं विशेष योग्यता रखने वाले बच्चों के उत्थान, शिक्षा, उपचार, शालात्यागी बच्चों को पुनः प्रवेश दिलाने, कोविड-19 में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण आदि हेतु शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने, बच्चों को कानूनी प्रावधानों तथा योजनाओं का लाभ दिलाए जाने तथा उनके पुनर्वास के उद्देश्य से कार्ययोजना वर्ष 2022-23 विशेष रूप से केन्द्रित है।

कार्य योजना के अंतर्गत प्रतिमाह विशेष दिवसों का आयोजन किया जाना है, साथ ही प्रत्येक माह नालसा द्वारा संचालित योजनाओं तथा शासन की योजनाओं के अंतर्गत विशेष वर्ग एवं क्षेत्र के लोगों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल कार्ययोजना तैयार कर संपादित किया जाना है। प्रतिमाह विशेष अभियानों तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर किया जाना है। प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य संचालित योजना पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रत्येक योजना की प्रगति सुनिश्चित करना है।

विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, विधिक साक्षरता प्रासारित करना, लोक-अदालत का आयोजन करना, उत्पन्न विवादों को वैकल्पिक समाधान माध्यमों से निपटारे का प्रोत्साहन देना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर राशि दिलाया जाना आदि।

उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ का आयोजन अन्य संचालित योजनाओं के साथ किया जाना प्रस्तावित है और समय-समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि द्वारा जारी किए जाने वाले योजनाओं एवं निर्देशों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा:-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रतिमाह चलाये जाने वाले अभियानों का विवरण

क्र.	माह व वर्ष	गतिविधियों का विवरण	तिथि
1	अप्रैल, 2022	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विश्व स्वास्थ्य दिवस- 07 अप्रैल विशेष क्षेत्र जहां पर कुपोषण आदि की स्थिति विद्यमान हो और अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, को चिन्हित कर उक्त स्थान पर शिविर आयोजित करते हुए जन-सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना। ➤ विशेष नशा मुक्ति सप्ताह (18 से 24 अप्रैल) नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवायें एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्ययोजना विशेष रूप से नवयुवकों, किशोरों, बालकों एवं छात्रों में ड्रग तस्करी एवं दुरुपयोग की असाधारण वृद्धि की रोकथाम पर केन्द्रित होकर संबंधित विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। ➤ मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना (स्थानीय सुविधानुसार तिथि नियत कर) 	<p>07 अप्रैल</p> <p>18 से 24 अप्रैल</p>

		चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें ।	
3	जून, 2022	<p>➤ पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह (05 से 11 जून) विश्व पर्यावरण दिवस— 05 जून पंच-ज अभियान के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता अभियान । संबंधित जिले से गुजरने वाली नदियों एवं अन्य जल स्रोतों के आस-पास तथा घाटों पर साफ-सफाई तथा जागरूकता हेतु विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जावे ।</p> <p>विश्व बाल श्रम निषेध दिवस— 12 जून संबंधित विभागों के समन्वय से बाल श्रम निषेध से संबंधित विधियों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करना ।</p> <p>अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस— 21 जून इस अवसर पर जेलों में योग शिविर का आयोजन किया जाना ।</p> <p>अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस— 26 जून इस अवसर पर नशे की रोकथाम हेतु जागरूक शिविर का आयोजन किया जाना ।</p> <p>➤ ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन, जिससे पर्याप्त मात्रा में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें । (स्थानोय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)</p> <p>➤ स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत) जनोपयोगी लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये । साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार-प्रसार किया जाये । (स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)</p>	05 से 11 जून 12 जून 21 जून 26 जून
4	जुलाई, 2022	<p>➤ बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह (01 से 07 जुलाई) प्रत्येक बच्चों के लिए विधिक सेवा सहित सभी विकल्प उपलब्ध कराने, उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास, उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक क्षमता के विकास हेतु नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें एवं उनके</p>	01 से 07 जुलाई

		<p>संरक्षण के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के आलोक में बच्चों के लिए विशेष अभियान का आयोजन।</p> <p>उक्त अभियान के अंतर्गत शालात्यागी बच्चों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए (Back to School) अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शालात्यागी बच्चों को चिन्हित करते हुए विद्यालय में पुनः प्रवेश हेतु साप्ताहिक विशेष अभियान संचालित किया जाना है।</p> <p>➤ विश्व अंतराष्ट्रीय न्याय दिवस— 17 जुलाई</p> <p>कोविड-19 महामारी में माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा प्रदान किए जाने की समीक्षा किया जाना तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु विशेष कार्यक्रम।</p> <p>➤ मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना। (स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)</p> <p>➤ दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु विशेष अभियान चलाकर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। (नेशनल लोक अदालत आयोजन तक निरन्तर)</p>	17 जुलाई
5	अगस्त, 2022	<p>➤ जनजाति संवर्धन सप्ताह (03 से 09 अगस्त)— 09 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस</p> <p>नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के आलोक में अनुसूचित जनजाति तथा साथ ही अनुसूचित जाति के विधिक अधिकारों तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान</p> <p>➤ स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर मूल अधिकार व मूल कर्तव्य विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना।</p> <p>➤ नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना। (स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)</p>	03 से 09 अगस्त 15 अगस्त

		<p>➤ आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शिविर आयोजित करना तथा उक्त शिविर में दिनांक 13 अगस्त, 2022 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में से चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें ।</p>	
6	सितम्बर , 2022	<p>➤ विशेष “पहचान सप्ताह” (01 से 07 सितम्बर) के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने तथा विधिक अधिकारों एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान ।</p> <p>ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों हेतु शासन की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक ट्रांसजेंडर कार्ड, पहचान पत्र जैसे- वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि जारी किए जाने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करना ।</p> <p>➤ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस- 08 सितम्बर</p> <p>इस अवसर पर छात्र/ छात्राओं के लिए विद्यालय/ महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना ।</p> <p>➤ हिन्दी सप्ताह (14 से 20 सितम्बर) – हिन्दी दिवस 14 सितम्बर</p> <p>शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर विधिक जागरूकता, चित्रकला, हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (भारतीय महापुरुषों पर केन्द्रित), वाद-विवाद प्रतियोगिता, छात्र/छात्राओं के माध्यम से व्याख्यान आदि आयोजित किया जाना ।</p> <p>विद्यालय/महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधानित मूल कर्तव्य के पालन हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ।</p> <p>उक्त विशेष जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय एवं महाविद्यालयों में लैंगिक अपराधों के संबंध में छात्र एवं छात्राओं को जागरूक किया जाना ।</p>	01 से 07 सितम्बर 08 सितम्बर 14 से 20 सितम्बर

		<p>➤ स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत) जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार-प्रसार किया जाये। (स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)</p>	
7	अक्टूबर, 2022	<p>➤ वृद्ध नागरिक विधिक सहायता सप्ताह (01 से 07 अक्टूबर)— 01 अक्टूबर, वरिष्ठ नागरिक दिवस वरिष्ठ नागरिकों को विधिक अधिकारों, भरण-पोषण, निवास, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान। नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) याजना, 2016 के आलोक में कार्ययोजना तैयार कर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा।</p> <p>अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस— 02 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मामलों के निराकरण हेतु पक्षकारों को जागरूक किया जाकर गांधीजी के आदर्शों एवं अवधारणाओं का अनुसरण किया जाना।</p> <p>➤ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस— 10 अक्टूबर नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के आलोक में दिव्यांगजन के हितार्थ हेतु जागरूकता शिविर एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।</p> <p>➤ मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना। (स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)</p> <p>➤ कोविड-19 महामारी में माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा प्रदान किए जाने की समीक्षा किया जाना तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु विशेष कार्यक्रम (स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)।</p> <p>➤ दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु विशेष अभियान चलाकर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। (नेशनल लोक अदालत आयोजन तक निरन्तर)</p>	01 से 07 अक्टूबर 02 अक्टूबर 10 अक्टूबर

8	नवंबर, 2022	<p>➤ विधिक सेवा सप्ताह (09 से 15 नवम्बर)– 09 नवम्बर, विधिक सेवा दिवस, 11 नवम्बर, विश्व शिक्षा दिवस एवं 14 नवम्बर, बाल दिवस बच्चों के लिए उनके अधिकारों, शिक्षा, बाल-विवाह निरोध एवं जागरूकता अभियान तथा स्कूल कॉलेजों में बच्चों तथा विशेष बच्चों के लिए चित्रकला, निबंध, रंगोली, स्लोगन लेखन, खेलकूद, रैलो व अन्य गतिविधियों का आयोजन । कोविड-19 महामारी में माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा प्रदान किए जाने की समीक्षा किया जाना तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु विशेष साप्ताहिक अभियान ।</p> <p>➤ संविधान दिवस– 26 नवम्बर इस अवसर पर जिला प्राधिकरण द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामुहिक वाचन किया जाकर संविधान दिवस पर संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया जाये ।</p> <p>➤ आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शिविर आयोजित करना तथा उक्त शिविर में दिनांक 12 नवम्बर, 2022 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में से चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें ।</p>	09 से 15 नवंबर 26 नवम्बर
9	दिसंबर, 2022	<p>➤ दिव्यांगजन हेतु विधिक सेवा सप्ताह (03 से 09 दिसम्बर)– 03 दिसम्बर, दिव्यांगजन दिवस नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत निःशक्तजन को चिन्हित करते हुए उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करना ।</p> <p>एड्स रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम (01 दिसम्बर) – विश्व एड्स दिवस नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक योन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत</p>	03 से 09 दिसंबर 01 दिसम्बर

		<p>एड्स पीड़ितों की स्वीकार्यता बढ़ाने, एड्स रोग की रोकथाम, विशेष रूप से समर्थ बच्चों तथा व्यस्कों के अधिकारों के संरक्षण तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान</p> <p>➤ मानव अधिकार दिवस— 10 दिसम्बर इस अवसर पर मूल अधिकार विषय पर संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया जावे।</p> <p>➤ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस— 24 दिसम्बर इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधाना के संबंध में शिविर आयोजित कर आमजन को जागरूक करना।</p> <p>➤ स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत) जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार-प्रसार किया जाये। (स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)</p>	<p>10 दिसम्बर</p> <p>24 दिसम्बर</p>
10	जनवरी, 2023	<p>➤ राष्ट्रीय युवा दिवस— 12 जनवरी युवाओं में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित करने और समाज एवं देश के विकास में महती भूमिका निभाने हेतु जागरूकत करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया जावे।</p> <p>➤ मूल कर्तव्य जागरूकता सप्ताह (24 से 31 जनवरी) राष्ट्रीय बालिका दिवस— 24 जनवरी एवं गणतंत्र दिवस— 26 जनवरी मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना। साथ ही मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाये। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम लैंगिक अपराध एवं शोषण आदि के संबंध में आयोजित किया जावे।</p>	<p>12 जनवरी</p> <p>24 से 31 जनवरी</p>
11	फरवरी, 2023	<p>➤ विश्व सामाजिक न्याय दिवस— 20 फरवरी नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर कार्यक्रम आयोजित किया जाना। शालात्यागी बच्चों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के</p>	<p>20 से 26 फरवरी</p>

		<p>विद्यालय में प्रवेश के लिए एवं कोविड-19 में माता-पिता को खो चुके बच्चों को शिक्षा व शासन की योजनाओं के मिलने वाले लाभों की समीक्षा व लाभ दिलाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान ।</p> <p>➤ नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना (स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर) ।</p>	
12	मार्च, 2023	<p>➤ महिला सशक्तिकरण सप्ताह (08 मार्च से 14 मार्च) महिलाओं के अधिकारों, एसिट अटैक, महिला अपराध, घरेलू हिंसा, शिक्षा आदि पर जागरूकता एवं विधिक सहायता हेतु विशेष अभियान ।</p> <p>➤ विश्व जल दिवस- 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के संरक्षण एवं उसकी महत्ता पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जावे, जिसके माध्यम से जन सामान्य को प्रेरित किया जा सकेगा कि जीव के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्वयं सेवा करने हेतु तत्पर रहें ।</p> <p>➤ स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत) जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये । साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार-प्रसार किया जाये । (अपनी सुविधा अनुसार लोकोपयोगी लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाये)</p>	<p>08 से 14 मार्च</p> <p>22 मार्च</p>

नोट:- आयोजित कार्यक्रम से संबंधित म0प्र0 शासन के विभागों तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर शासकीय संगठनों के सहयोग एवं समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा । अमृत महोत्सव के दौरान गठित आउटरीच टीमों की सेवायें भी ली जा सकती हैं । आवश्यकतानुसार पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पैनल लायर्स की सेवायें ली जा सकती हैं ।

वर्ष 2022-23 हेतु नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का लक्ष्य

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :-

1) विधिक सहायता एवं विधिक सलाह योजना:- विधिक सहायता एवं सलाह योजनान्तर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :-

क्र	योजना का नाम	जिला स्तर		तहसील स्तर
		मासिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य
		संभाग मुख्यालय हेतु (लाभार्थियों की संख्या)	अन्य जिलों हेतु (लाभार्थियों की संख्या)	
1.	विधिक सहायता योजना	75	40	25
2	विधिक सलाह योजना	125	75	50

2) लोक अदालत:- जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालतें निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:-

क्र.	लोक अदालत का प्रकार	जिला स्तर पर मासिक लक्ष्य	तहसील स्तर पर मासिक लक्ष्य	
01.	स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत	एक जिले-1	एक तहसील- 1	प्रत्येक माह अंतिम शनिवार
02.	लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी)	एक जिले हेतु 4 बैठक	-	साप्ताहिक
03.	मनरेगा के अंतर्गत लोक अदालत	-	एक तहसील- 1	मासिक
04.	जेल लोक अदालत	एक जिले हेतु 1 बैठक	-	मासिक
05.	मोबाइल लोक अदालत	<u>जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित तिथियों के अनुसार।</u>		
06.	नेशनल लोक अदालत	नालसा के निर्देशानुसार		

3) विवाद विहीन ग्राम योजना:— प्रत्येक जिला अपन अंतर्गत आने वाली तहसील सहित कम से कम 02 ग्राम को विवाद विहीन योजना अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

4) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना:— जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते हैं या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किये जाने हेतु जि०वि०से०प्रा० के माध्यम से पक्षकारों के विवादों को आपसी समझाइश तथा समझौतों के माध्यम से निपटाया जाना है। इसके लिए प्रत्येक माह जिला स्तर पर 05 एवं तहसील स्तर पर कम से कम 2 मामले को परामर्श से निराकृत किया जावेगा। **विगत वर्षों में यह योजना का कार्यान्वयन निष्क्रिय रहा है, अतः इसे पुनः सक्रिय कर अधिक से अधिक संख्या में आमजन को लाभांवित किया जाना है।**

5) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना:— माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिये समस्त जिला प्राधिकरण द्वारा 05 एवं प्रति तहसील द्वारा 3 व्यक्तियों को लाभांवित किये जाने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। **विगत वर्षों में योजना का कार्यान्वयन निष्क्रिय रहा है। अतः इसे पुनः सक्रिय कर अधिक से अधिक संख्या में आमजन को लाभांवित किया जाना है।**

6) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना:— मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरुद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की प्रगति बहुत उत्साहजनक नहीं है इसलिए इस योजना को अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर निरुद्ध बंदियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयास किया जावे।

7) लीगल एड क्लीनिक :— नालसा के निर्देशों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के सभी 50 जिलों में कुल 1097 लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। दो माह के अंदर सभी बाल गृह, स्वाधार गृह, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेजों, मानसिक रूग्णालय, ग्राम पंचायतों, जेलों और सामुदायिक केंद्रों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा, जिसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाये।

8) श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ :— श्रम विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य करने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 'श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है। **विगत वर्षों में यह योजना का कार्यान्वयन निष्क्रिय रहा है, अतः इसे पुनः सक्रिय कर मासिक रूप से संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को लाभांवित किया जाये।**

9) महिला एवं बाल संरक्षण इकाई :— महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रधान जिला न्यायाधीश

की अध्यक्षता में “महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई” का गठन किया गया है। यह इकाई महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है। **विगत वर्षों में यह योजना का कार्यान्वयन निष्क्रिय रहा है, अतः इसे पुनः सक्रिय कर मासिक रूप से संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं एवं बच्चों को लाभांवित किया जावे।**

10) विशेष शिविर, समीक्षा बैठक प्रशिक्षण एवं निरीक्षण कार्यक्रम :- इन शिविर आयोजन में रोजगार गारंटी शिविर, लघु एवं वृहद साक्षरता शिविर सम्मिलित होंगे।

जेल, वृद्धाश्रम, बालगृह, विशेष गृह संप्रेषणगृह, स्वाधार गृह, मानसिक रूग्णालय तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं अन्य गृहों का निरीक्षण करने का कार्य समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कराया जाना है।

प्रत्येक माह ऐसे विशेष शिविर आयोजित किये जावें जिनमें वंचित समुदायों (ट्रांसजेण्डर, एड्स पीड़ित सहित) को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने के साथ ही उन्हें उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की जानकारी भी दी जावे।

नियमित रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पैनल लायर्स को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावें। साथ ही ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पैनल लायर्स की प्रतिमाह कम से कम 02 समीक्षा बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाये।

जिला प्राधिकरण द्वारा कमियों एवं सुझावों सहित प्रतिवेदन तैयार किया जावे तथा कमियों की पूर्ति हेतु जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बैठक एवं अन्य उचित माध्यम से कार्यवाही की जावे।

पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की मासिक रूप से समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही की जावे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित नालसा की समस्त योजना को राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के साथ सम्मिलित रूप से क्रियान्वित कराया जा सकेगा। माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में भी नालसा योजनाओं का शिविर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर उक्त व्यक्तियों को लाभ दिलाने का प्रयास करें।

नोट:- संचालित गतिविधियों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर प्रोफाइल क्रिएट कर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। प्रचार प्रसार हेतु रेडियो, Short film creation, एवं समान प्रकार के अन्य माध्यम का उपयोग भी उचित तरीके से किया जा सकेगा।

11) मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम:— मीडिएशन हेतु पृथक से प्रेषित कार्ययोजना अनुसार प्रतिमाह जिला/कुटुंब न्यायालय/तहसील स्तर पर एक मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम किया जावे।

12) विधिक साक्षरता शिविर योजना:— प्रत्येक जिला एवं तहसील मुख्यालय पर **विधिक साक्षरता शिविर** आयोजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्यानुसार शिविर का आयोजन किया जावे।

क्र	योजना का नाम	जिला स्तर	तहसील स्तर
		मासिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य
1	विधिक साक्षरता शिविर योजना	06	04

उक्त शिविरों में नालसा की 01 या अधिक योजनाओं को सम्मिलित करते हुये नालसा की सभी योजनाओं के अंतर्गत कम से कम एक शिविर अवश्य आयोजित किया जावे।

जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित शिविर व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद आयोजित किये जावेंगे जिसमें स्थानीय मुददों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला एवं तहसील के पैनल अधिवक्ता एवं एन.जी.ओ., पैरालीगल वालेंटियर्स का सहयोग लिया जायेगा।

13) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष कार्यक्रम:— म0प्र0 विस्तृत भू-भाग वाला प्रदेश है, यहां पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष प्रकार की समस्याएं एवं परिस्थितियां विद्यमान है। क्षेत्र विशेष में निवासरत व्यक्तियों की समस्याएं एवं उनकी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्र विशेष के लिए किसी विशिष्ट विषय पर जो नालसा एवं सालसा की योजनाओं से संबंधित अथवा समाज के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों के उत्थान (Upliftment) हेतु अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश से संबंधित विषय पर हो सकेगा, कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त उक्त विषय पर कार्यक्रम कर सकगा।

14) व्यापक प्रचार-प्रसार:— विधिक सेवा गतिविधियो, नालसा एवं सालसा की योजनाओं विशेष अभियानों तथा सफलता की कहानियों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, टी.वी, केबल, सोशल मीडिया, फ्लेक्स बैनर, पेंपलेट्स, ब्रोशर्स, नुक्कड़ नाटक, रैली आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कर, योजनाओं का मासिक प्रगति पत्रक पूर्व निर्धारित निर्देशों अनुसार प्रेषित की जावे।

कार्यालय के योजनाओं एवं समस्त कार्यालयीन व्ययों के देयकों का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह किया जावे तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किये जाने वाले देयकों को भी नियमानुसार नियत समयावधि में सत्यापित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

नोट:- कार्ययोजना 2022-23 में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पूर्व निर्देश अनुसार अथवा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार संचालित होते रहेंगे ।

कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश:-

1. कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक माह की कार्ययोजना में वर्णित गतिविधियों के लिए समयपूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्ययोजना बनाई जायेगी और कार्ययोजना अनुसार सभी संबंधित विभागों आदि को सूचित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।
2. सभी संबंधित सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, अन्य संबंधितों से समन्वय रखा जावे, उनके साथ विचार विमर्श किया जावे, आपसी सहमति से व्यवहारिक परिणाम सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्ययोजना के अनुरूप गतिविधियों में उनका पूर्ण सहयोग लिया जा सकेगा ।
3. कार्ययोजना में वर्णित कार्यक्रम जिसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना में वर्णित गतिविधियों के लिए कार्यक्रम की तिथि आदि नियत कर कार्यवाही कर सकेगा।
4. कार्ययोजना में पूर्व से निर्धारित तिथि में परिवर्तन स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल करने की आवश्यकता होने की स्थिति में माननीय अध्यक्ष/ प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को सूचित करते हुए नवीन तिथि नियत की जा सकेगी और कार्यक्रम उपरान्त गतिविधियों की जानकारी पूर्व निर्देश अनुसार प्रेषित की जा सकेगी।
5. कार्य योजना 2022-23 अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी प्रत्येक माह की 01 तारीख तक संक्षिप्त विवरण सहित जिसमें सफलता की कहानी आदि सम्मिलित की जा सकती हैं, फोटोग्राफ्स, समाचारपत्र कटिंग आदि म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।